



F. No.6-12/2026/Legal/4354

कार्यालय / Office

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, New Delhi

Accredited by: National Healthcare Quality and Accreditation Council

Member: National Allied and Healthcare Professional Association

प्रशासनिक कार्यालय: द्वितीय तल, सुनील कॉम्प्लेक्स, डबल्यू० के० रोड गेरठ- 250002

विधिक अनुभाग / Legal Department

वेबसाइट / www.lbspstc.in

दिनांक / Dated: 10.06.2026

सेवा में,

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. माननीय मंत्री,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

विषय:- "लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्कूल एंड ट्रेनिंग काउंसिल" के अधीन अध्ययनरत एवं उत्तीर्ण पात्र विद्यार्थियों / डिप्लोमाधारियों के वैधानिक पंजीकरण के संरक्षणार्थ, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश के सचिव तथा निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश को समुचित आदेश / निर्देश निर्गत किए जाने हेतु विधिक प्रतिनिधित्व / प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

निवेदक, "लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्कूल एंड ट्रेनिंग काउंसिल" का सचिव होने के नाते, परिषद की ओर से यह विधिक प्रतिनिधित्व अत्यंत आदर, विनय एवं न्यायोचित अपेक्षा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। परिषद के अधीन विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में विधिवत रूप से नामांकित अनेक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी अपना शैक्षणिक पाठ्यक्रम, प्रायोगिक प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन पूर्ण कर सफलतापूर्वक डिप्लोमाधारी हो चुके हैं।

1. यह कि उपर्युक्त विद्यार्थी एवं डिप्लोमाधारी पूर्ण सद्भाव के साथ परिषद में प्रवेशित हुए, निर्धारित पाठ्यचर्या का पालन किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा संस्थागत अपेक्षाओं का समुचित निर्वहन किया

Page 1 | 4

नोट: गैरसक
मध्य से
अभ्यास के लिए
कर फाइल कर
गोपनीय है

A. Kishor

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

है। तथापि, अत्यंत गंभीर प्रतिकूलता के साथ यह तथ्य निवेदित किया जाता है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसे मात्र अभ्यर्थियों को अब तक अपेक्षित वैधानिक पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनका शैक्षिक, व्यावसायिक एवं आजीविकोपार्जन संबंधी भविष्य अनिश्चितता के गंभीर अंधकारमय क्षेत्र में धकेल दिया गया है।

2. यह कि पंजीकरण के अभाव में परिषद के अधीन अध्ययनरत/उत्तीर्ण अभ्यर्थी सरकारी एवं निजी चिकित्सीय संस्थानों में रोजगार, प्रशिक्षण, संविदात्मक अवसर, उच्च अध्ययन तथा पेशेगत उन्नति के वैध अवसरों से प्रत्यक्षतः वंचित हो रहे हैं। यह स्थिति न केवल उनके वैयक्तिक हितों को प्रभावित करती है, अपितु यह भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शिक्षा के अधिकार, गरिमामय आजीविका (Article 21) तथा समता के मौलिक अधिकारों (Article 14) पर भी गंभीर आघात पहुँचाती है।
3. यह कि प्रशासनिक संज्ञान, संस्थागत समरूपता तथा राज्तीय आचरण की आंतरिक सुसंगति के दृष्टिकोण से यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रासंगिक एवं विधिक रूप से अत्यधिक वजनदार है कि परिषद के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार की स्वागी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना का विधिवत लाभ प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत परिषद के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना केवल एक साधारण प्रशासनिक घटना न होकर यह इस बात का सशक्त संकेतक है कि परिषद एवं इसके विद्यार्थियों का शैक्षिक अस्तित्व, अभिलेखीकरण, प्रशासनिक संज्ञान तथा संस्थागत स्वीकार्यता राज्य तंत्र के संज्ञान में विद्यमान है। ऐसी दशा में, राज्य के एक अंग द्वारा विद्यार्थियों को योजनागत लाभ प्रदान करना, किन्तु दूसरे अंग द्वारा उन्हीं विद्यार्थियों के पंजीकरण संबंधी अधिकारों पर प्रतिकूल अथवा विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाना, प्रथम दृष्टया प्रशासनिक असंगति, निर्णयगत विसंगति तथा विधिक निष्पक्षता के मानकों के प्रतिकूल प्रतीत होता है। ऐसी विरोधाभासी स्थिति न्यायोचित अपेक्षा, समता, तर्कसंगत राज्य आचरण एवं गैर-मनमाने प्रशासन के सिद्धांतों की कसौटी पर गंभीर परीक्षण की अपेक्षा करती है।
4. यह तथ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विधिक दृष्टि से उल्लेखनीय है कि अन्य राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत पैरामेडिकल काउंसिलों/नियामक प्राधिकरणों द्वारा निवेदक परिषद के विद्यार्थियों एवं डिप्लोमाधारियों को विधिवत एवं निर्विघ्न वैधानिक पंजीकरण प्रदान किया जा रहा है। जब समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि, तुल्य अर्हता एवं समरूप प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को विभिन्न राज्यों में विधिक मान्यता, पेशेगत स्वीकृति एवं पंजीकरण का लाभ प्राप्त हो रहा है, तब उत्तर प्रदेश राज्य में उन्हीं अभ्यर्थियों को केवल प्रक्रियात्मक, तकनीकी अथवा प्रशासनिक आधारों पर पंजीकरण से वंचित रखना न केवल प्रथम दृष्टया असमानतापूर्ण प्रतीत होता है, अपितु यह भेदकारी, मनमाना तथा न्यायसंगत प्रशासनिक आचरण के स्थापित मानकों के प्रतिकूल भी परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति, वैध अपेक्षा, समता तथा गैर-मनमाने राज्य आचरण के सिद्धांतों की कसौटी पर गंभीर पुनर्विचार की अपेक्षा करती है।
5. यह कि निवेदक परिषद, पूर्ण उत्तरदायित्व एवं विधिक स्पष्टता के साथ, आपका ध्यान इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहती है कि परिषद के वैधानिक अनुमोदन/मान्यता से संबंधित प्रकरण भारत सरकार के National Council for Vocational Education and Training (NCVET) के समक्ष विधिवत रूप से प्रक्रियाधीन है। उक्त तथ्य स्वयं यह प्रतिपादित करता है कि परिषद का प्रकरण किसी परित्यक्त, अप्रमाणित अथवा अविश्वसनीय स्थिति में नहीं है, अपितु सक्षम केंद्रीय प्राधिकार के समक्ष परीक्षण, विचार एवं संस्थागत समेकन की विधिक प्रक्रिया से निरंतर गुजर रहा है। ऐसी दशा में, न्याय, निष्पक्षता, प्रशासनिक संतुलन एवं विधि के शासन के सर्वमान्य सिद्धांतों की यह स्पष्ट अपेक्षा है कि उक्त लंबित प्रक्रियात्मक स्थिति का संपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव निर्दोष एवं bona fide विद्यार्थियों/डिप्लोमाधारियों पर आरोपित न किया जाए। प्रत्युत, उनके शैक्षिक, व्यावसायिक, आजीविकोपार्जन संबंधी एवं वैधानिक हितों की तात्कालिक सुरक्षा हेतु एक अंतरिम, सहानुभूतिपूर्ण, संतुलित तथा सकारात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक, समीचीन एवं अनिवार्य है, जिससे उनके भविष्य को अपूरणीय क्षति से संरक्षित किया जा सके।
6. यह कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित एवं दृढ़तापूर्वक स्थापित विधिक सिद्धांतों का स्पष्ट एवं अविचल प्रतिपादन है कि कोई भी विद्यार्थी, जिसने पूर्ण सद्भाव के साथ किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेकर अपने अध्ययन, प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक दायित्वों का समुचित निर्वहन किया हो, उसे संस्थागत, अंतर-विभागीय, नियामकीय अथवा मात्र

A. B. Singh

प्रक्रियात्मक विरंगतियों के कारण प्रतिकूल रूप से दण्डित, वंचित अथवा अपात्र नहीं ठहराया जा सकता। निर्दोष विद्यार्थियों को ऐसी प्रशासनिक अनिश्चितता के गर्त में धकेलना, जिसमें उनका भविष्य, आजीविका, पेशेगत अवसर एवं उच्च अध्ययन की संभावनाएँ संकटग्रस्त हो जाएँ, प्राकृतिक न्याय, वैध अपेक्षा, निष्पक्षता, समता तथा विधि के शासन के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल है। वस्तुतः, ऐसी किसी भी प्रशासनिक दृष्टि को, जो **bona fide** विद्यार्थियों पर उन कारणों का प्रतिकूल भार आरोपित करे जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं संवैधानिक प्रशासन के मानकों पर परखा जाना अनिवार्य है।

7. यह कि एक लोक प्राधिकारी होने के नाते स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश पर यह सांविधिक, सार्वजनिक एवं विधिक दायित्व अधिरोपित है कि वह अपने प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय, विचार एवं कार्यवाई में निष्पक्षता, तर्कसंगतता, पारदर्शिता तथा गैर-मनमानेपन के संवैधानिक मानकों का कठोर एवं अक्षरशः अनुपालन करे। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि प्रशासनिक औपचारिकताएँ, प्रक्रियात्मक जटिलताएँ अथवा अंतर्विभागीय विसंगतियाँ कभी भी न्यायोचित अधिकारों, विद्यार्थियों के वैधानिक हितों तथा उनके मौलिक/संवैधानिक संरक्षण के मार्ग में अवरोधक नहीं बन सकतीं। इसके विपरीत, लोक प्राधिकारियों से यह वैध अपेक्षा की जाती है कि वे प्रक्रिया को न्याय का साधन मानें, न कि न्याय के प्रतिषेध का उपकरण और अपने निर्णयों को इस प्रकार विन्यस्त करें कि निर्दोष विद्यार्थियों को प्रशासनिक तकनीकीताओं के कारण अपूरणीय क्षति न उठानी पड़े।

अतः, उपर्युक्त वर्णित समस्त तथ्यगत एवं विधिक परिस्थितियों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा विद्यार्थियों के भविष्य एवं न्यायोचित हितों को समग्र रूप से दृष्टिगत रखते हुए, निवेदक परिषद की ओर से आपसे सविनय प्रार्थना है कि कृपया निम्नलिखित अनुतोष प्रदान करने की कृपा करें:-

(क) यह अनुग्रह/कृपा की जाए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने सक्षम स्तर से सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश को यह आदेशित/निर्देशित करें कि "लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्कूल एंड ट्रेनिंग काउंसिल" के अधीन अध्ययनरत तथा उत्तीर्ण समस्त पात्र विद्यार्थियों एवं डिप्लोमाधारियों के प्रकरणों पर उपलब्ध अभिलेखों, तथ्यगत परिस्थितियों एवं प्रासंगिक विधिक सिद्धांतों के आलोक में विचार कर उन्हें अविलंब वैधानिक पंजीकरण प्रदान किया जाए

(ख) यह भी आदेशित/निर्देशित किया जाए कि परिषद अथवा संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण आवेदनों तथा संलग्न अभिलेखों/दस्तावेजों पर एक निश्चित, समयबद्ध, कारणयुक्त एवं विधिसम्मत निर्णय सक्षम स्तर पर पारित किया जाए, ताकि अनावश्यक विलंब से विद्यार्थियों के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों।

(ग) लाखों विद्यार्थियों/डिप्लोमाधारियों के भविष्य, आजीविका, रोजगार के अवसरों, उच्च अध्ययन तथा उनके वैधानिक एवं न्यायोचित अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश तथा अन्य संबंधित विभागों/प्राधिकारियों को आवश्यक, स्पष्ट, युक्तिसंगत एवं समुचित आदेश/निर्देश निर्गत करने की कृपा करें, जिससे इवदं पिछम अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति न उठानी पड़े

निवेदक परिषद को यह पूर्ण एवं न्यायोचित विश्वास है कि आपका गरिमामय कार्यालय उपर्युक्त विधिक प्रतिनिधित्व में वर्णित समस्त तथ्यगत एवं विधिक पक्षों पर समुचित, सहानुभूतिपूर्ण, निष्पक्ष, तर्कसंगत एवं विधि-सम्मत विचार करते हुए इस प्रकरण में तत्परता के साथ यथाशीघ्र आवश्यक एवं प्रभावकारी हस्तक्षेप करेगा तथा सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश एवं निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश सहित संबंधित प्राधिकारियों को उचित आदेश/निर्देश निर्गत करेगा, जिससे लाखों निर्दोष एवं विद्यार्थियों/डिप्लोमाधारियों के भविष्य, आजीविका, शैक्षणिक उन्नति तथा वैधानिक हितों को अपूरणीय क्षति से संरक्षित किया जा सके। तथापि, यदि इस प्रकरण पर समुचित एवं युक्तिसंगत समयावधि के भीतर कोई ठोस, कारणयुक्त एवं विधिसम्मत निर्णय/कार्यवाही संपादित नहीं की जाती है, तो निवेदक परिषद, विद्यार्थियों के वैधानिक एवं संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण तथा न्यायोचित प्रतितोष की प्राप्ति हेतु, माननीय उच्च न्यायालय

A. Bisoi

के समक्ष उपयुक्त विधिक समझौसे का अवलंबन करने के लिए विवश होगी। ऐसी स्थिति में, उत्पन्न होने वाली समस्त विधिक परिणतियों, अनावश्यक वाद-विवाद तथा विचारधियों को होने वाली निरंतर क्षति के लिए उत्तरदायित्व उस प्रशासनिक निष्क्रियता, गिलंब अथवा निर्णयगत उदासीनता पर ही निहित माना जाएगा, जिसने सम्योचित हस्तक्षेप से परहेज किया। निवेदक परिषद यह भी सादर अपेक्षा करती है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने से पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय न्याय, समता एवं जनहित के अनुरूप आवश्यक हस्तक्षेप करेंगे। इस न्यायपूर्ण, विधिसम्मत, छात्रहितैषी एवं जनहितकारी हस्तक्षेप के लिए परिषद तथा इसके समस्त विद्यार्थी सदैव आपके आभारी रहेंगे।

सचिव,

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पारामेडिकल
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

A. B. Gir
(अभिषेक गिरि)

लाल बहादुर शास्त्री कौशल एवं
प्रशिक्षण परिषद, भारत।

संपर्क सूत्र: 0121-4349311

प्रष्ठांकन संख्या:- F.7-09/2026 / विधिक अनुभाग / 4354 दिनांक: 10/06/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, स्टेट मेडिकल फौकल्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. कार्यालय प्रति/अभिलेख हेतु।

सचिव,

(अभिषेक गिरि)
लाल बहादुर शास्त्री कौशल एवं
प्रशिक्षण परिषद, भारत।
संपर्क सूत्र: 0121-4349311